उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

संख्या- 22/2017/एस-211/38-2-2017-2(12)एस/2016

लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

शुद्धि-पत्र

दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के लेखा संवर्ग के गठन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-21/2017/एस-209/38-2-2017-2(12)एस/2016, दिनांक 11 सितम्बर, 2017 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में अंकित तिथि त्रुटिवश 11 सितम्बर, 2017 है, जबकि वास्तविक तिथि 11 अक्टूबर, 2017 है।

2- अत: शासनादेश पत्र संख्या-21/2017/एस-209/38-2-2017-2(12)एस/2016 में अंकित तिथि 11 सितम्बर, 2017 के स्थान पर दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश संख्या-21/2017/एस-209/38-2-2017-2(12)एस/2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

रमेश चन्द्र मिश्र

अनु सचिव।

संख्या-22/2017/एस-211(1)/38-2-2017 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2

(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

(4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in